



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

तीन अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना संदना पुलिस द्वारा अपराध में लिप्त तीन अभियुक्तगण 1. रामराज पुत्र महेश्वर उम्र 30 वर्ष 2. प्रकाश पुत्र महेश्वर 3. सोहन पुत्र कन्धई उम्र 45 वर्ष नि०गण ग्राम लोहगपुर थाना संदना जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर शराब तस्कर है, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना संदना पर मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। अपराधियों की सम्पत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

● अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. रामराज पुत्र महेश्वर निवासी ग्रा० लोहगपुर थाना सन्दना , सीतापुर ।
2. प्रकाश पुत्र महेश्वर निवासी ग्रा० लोहगपुर थाना सन्दना , सीतापुर ।
3. सोहन पुत्र कन्धई नि०गण ग्राम लोहगपुर थाना संदना ,सीतापुर

● आपराधिक इतिहास का विवरण---

अभियुक्त रामराज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 50/17 धारा 60 आब० अधि० थाना सन्दना सीतापुर
2. मु०अ०सं० 43/19 धारा 60(2) आब०अधि० व 332/353/307 भादवि थाना सन्दना सीतापुर
3. मु०अ०सं० 205/19 धारा 60(2) आब०अधि० व 272 भादवि थाना सन्दना सीतापुर
4. मु०अ०सं० 127/20 धारा 60(2) आब०अधि० व 272 भादवि थाना सन्दना सीतापुर
5. मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम

अभियुक्त प्रकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 43/19 धारा 60(2) आब०अधि० व 332/353/307 भादवि थाना सन्दना सीतापुर
2. मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम

अभियुक्त सोहन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 205/19 धारा 60(2) आब०अधि० व 272 भादवि थाना सन्दना सीतापुर
2. मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 उ० प्र० गैंगेस्टर अधिनियम